रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225510
CG-DL-E-26022021-225510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/फाल्गुन 7, 1942
No. 99]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/PHALGUNA 7, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फ़रवरी, 2021

सा.का.नि. 140(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 827(अ), तारीख 6 नवंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि के अवसान से पहले आक्षेप और सुझाव आंमत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 6 नवंबर, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अनुसूची ट में, "ओषधियों का वर्ग" स्तंभ के अधीन क्रम संख्यांक 23 की प्रविष्टियों में "और (iv) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(iv) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और (v) आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ।"।

[फा.सं. एक्स.11014/13/2019 – डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 763(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021.

G.S.R. 140(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published as required under sub-section(1) of section 12 and sub-section(1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 827(E), dated the 6th November, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on 6th November, 2019;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, against serial number 23, in the entries under the column "Class of Drugs", for the words, brackets and figures "and (iv) Anganwadi Workers", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely:—

"(iv) Anganwadi Workers; and (v) Community Health Officers at Ayushman Bharat Health and Wellness Centres.''.

[F.No.X.11014/13/2019-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification number F.28-10/45-H(1), dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 763(E), dated the 15th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.02.26 22:31:22 +05'30'